

निबंधन प्रमाण-पत्र

(बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन स्वावलम्बी सहकारी समिति के निबंधन के संबंध में)

प्रमाणित किया जाता है कि बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997) धारा-5 के अधीन सिस्टिजन बचत एवं संचय

स्वावलम्बी सहकारी समिति लि. पटना

के नाम से एक समिति का विधिवत निबंधन मेरे कार्यालय में किया गया है। इस समिति का निबंधित कार्यालय अनीसाबाद निकट - डा. फानी चौक लेन, दुर्गा मंदिर के सामने, पो. - अनीसाबाद, थाना - गढ़नीवाड़ा, जिला - पटना

में है और कार्यक्षेत्र पटना जिला है।

समिति की निबंधन संख्या BR-01-01-00-074-03-2012 है।

समिति की उप-विधियाँ भी निबंधित कर दी गयी है।

इस प्रमाण पत्र पर मैंने आज दिनांक 16-7-2012 को हस्ताक्षर किया है और मोहर लगायी है।



16/7/12
DISTRICT CO-OPERATIVE OFFICE
PATNA
16/7/12

कार्यालय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना।

संशोधन के निबंधन का प्रमाण -पत्र

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम-2, 1997) के अधीन निबंधित सिटीजन बचत एवं साख (स्वावलम्बी) सहकारी समिति लि., अनिसाबाद, पटना-800002 सहकारी सोसाईटी की उप-विधियों के संशोधन को जैसा कि संलग्न लेख्य में दिया गया है, उक्त अधिनियम की धारा-10 के अधीन निबंधित किया गया है, जिसके प्रतीकस्वरूप यथाविधि हस्ताक्षरित एवं मुहरित आवश्यक प्रमाण पत्र संख्या-BR/01/01/02 /OTH/2023 दिनांक 31/01/2024 लेखा संलग्न है।

इस कार्यालय में जमा की गई उप-विधियाँ की प्रति तदनुसार संशोधित कर ली गई है।



संयुक्त निबंधक,
सहयोग समितियाँ
पटना प्रमंडल, पटना।

आज दिनांक 31-01-2024 दिन बुधवार माह जून सन् दो हजार तेईस ईस्वी।

ज्ञापक...../स.स., पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-

1. श्री राम नरेश सिंह, अध्यक्ष, सिटीजन बचत एवं साख (स्वावलम्बी) सहकारी समिति लि., अनिसाबाद, पटना-800002 को सूचनार्थ प्रेषित
2. सिटीजन बचत एवं साख (स्वावलम्बी) सहकारी समिति लि., अनिसाबाद, पटना-800002 द्वारा सचिव श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव,
3. प्रबंध निदेशक, दी पाटलिपुत्रा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., पटना,
4. सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना प्रमंडलान्तर्गत
5. सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडलान्तर्गत
6. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

संयुक्त निबंधक